



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-23/2016- १०२३ दिनांक : ०८/८/१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल / बोकारो वन प्रमण्डल / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल / रामगढ़ वन प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) के अन्तर्गत रंगनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु० 62.048 लाख (बासठ लाख चार हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०बजट-36/2016-22/स्वी० व०प० दिनांक 08.07.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-36/2016-37/आ० व०प० दिनांक 02.05.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, उप शीर्ष- 09 “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 62.048 लाख (बासठ लाख चार हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789090103	33.705
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789090323	26.593
प्रशिक्षण व्यय	19S240601789090335	1.750
कुल :-		62.048

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601789090103, 19S240601789090323 तथा 19S240601789090335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों/ वन संरक्षकों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय ज्ञारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा

14. वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की गई लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के स्वयं सहायता समूहों द्वारा रंगीनी/कुसुमी लाह उत्पादन (तृतीय वर्ष) संबंधी निम्नलिखित सूचनाएँ संधारित कर 30 नवम्बर, 2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय :—

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	योजना से संबंधित वन स्थल का नाम	स्वयं सहायता समूह से जुड़ी समिति का नाम	समूह के व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाइल नं० के साथ	INRG में प्रशिक्षित व्यक्तियों का नाम एवं पता /मोबाइल नं० के साथ	Community Resource Person की विवरणी मोबाइल नं० के साथ	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में उत्पादित लाह की मात्रा (किंग्रा० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो०बजट-23 / 2016- 1023 दिनांक— 08/8/18

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ बोकारो/ हजारीबाग/ चतरा/ रामगढ़/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो०बजट-23 / 2016- 1023 दिनांक— 08/8/18

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ बाकारो/ हजारीबाग/ चतरा/ रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विषेश घटक योजना) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय लक्ष्य			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				4.815	3.799	0.250	8.864
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
3	बोकारो वन प्रमंडल, बोकरो	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
7	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	125	12500	4.815	3.799	0.250	8.864
योग :-		875	87500	33.705	26.593	1.750	62.048

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
जारखण्ड, रोॅची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका


रंगिनी ह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर

लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(ल० लाख म०)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	तृतीय वर्ष 2018-19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 237.38					अम्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	
1	वृक्षों का विछांकन	रु० 2.65 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000	0.000	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का विछांकन किया जाएगा जिसे 5-5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छाटाई फरवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण							
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी					0.000	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट					0.000	प्रथम वर्ष फरवरी/मार्च में सेट-1 के 6250 वृक्षों की कटाई-छाटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छाटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई-छाटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष					0.000	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 किंग्रा प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति किंग्रा०	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष				0.000	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.742			0.742	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट-2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा जिसके लिए सेट-1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इल्यादि)	6250 वृक्ष		1.875		1.875	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रु०					0.000	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.593			0.593	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)			0.000	0.250		0.250	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रु० प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.500			0.500	
	कुल योग-			4.815	3.625	0.250	8.690	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	.@ 2 % of Project cost		0.174			0.174	
	सकल योग-			4.815	3.799	0.250	8.864	

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-40 / 2016- 27 दिनांक 30.07.2016



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-23/2016/1023

दिनांक -

08-Aug-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789090103	47502	GRDFOR001	481,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी		KUMAR ASHISH	रुपये चार लाख इक्कायासी हजार पॉच सौ
	01 - वानिकी		DFO GIRIDIH EAST	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		FOR.DIV.	
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन			
	01 - वेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)			
	Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789090103	47503	GRDFOR003	481,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी		SRI SATYAM KUMAR	रुपये चार लाख इक्कायासी हजार पॉच सौ
	01 - वानिकी		D.F.O. GIRIDIH WEST	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		FOR. DIV.	
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन			
	01 - वेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)			
	Central Scheme : NA			
3	S 19 240601789090103	47504	BKRFOR001	481,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी		P.R. NAIDU	रुपये चार लाख इक्कायासी हजार पॉच सौ
	01 - वानिकी		D F O, BOKARO	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन			
	01 - वेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337)			
	Central Scheme : NA			

योगः

1,444,500.00

क्रमिक योगः

रुपये चौदह लाख चवालीस हजार पॉच सौ

PCCF.D(BADHARKHANS)RANCHI


(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789090103	47505	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	481,500.00 रुपये चार लाख इक्कासी हजार पैंच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789090103	47506	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	481,500.00 रुपये चार लाख इक्कासी हजार पैंच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601789090103	47507	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	481,500.00 रुपये चार लाख इक्कासी हजार पैंच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
				1,444,500.00
योग:				2,889,000.00
क्रमिक योग:	रुपये अठाइस लाख नवासी हजार		 (SHRI SATNAM SINGH)	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	47508	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	481,500.00 रुपये चार लाख इक्कासी हजार पैंच सौ
8	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	47509	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नी सौ
9	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	47510	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नी सौ
योग: 1,241,300.00				
क्रमिक योग: 4,130,300.00				

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इक्कालीस लाख तीस हजार तीन सौ

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	47511	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
11	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	47512	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
12	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	47513	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
योग: 1,139,700.00				
क्रमिक योग: 5,270,000.00				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF, D(BADHARKHANS)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47514	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
14	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47515	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	379,900.00 रुपये तीन लाख उन्नासी हजार नौ सौ
15	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47516	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
<hr/>				
योग:				784,800.00
क्रमिक योग:	रुपये साहठ लाख चौपन हजार आठ सौ			6,054,800.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF, DEBADHARKHANSI, RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47517	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
17	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47518	BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O. BOKARO	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
18	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47519	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
<hr/>				
योग:				75,000.00
क्रमिक योग:	रुपये इक्सठ लाख उन्तीस हजार आठ सौ			6,129,800.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH)				
PCCF,DBD(MARKMAN)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47521	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
20	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47522	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
21	S 19 240601789090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	47523	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार

योगः

क्रमिक योगः

रुपये बासठ लाख चार हजार आठ सौ

PCCF, DE BADKAR (KANSI) RANCHI